

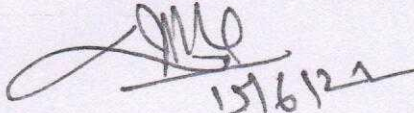
11.

Site inspection report of the DCF

The site has been inspected in on 28-05-2022 The proposed retail outlet is on Begusarai-Rosera (SH-55) road which is a PWD road and declared as protected forest vide govt. of Bihar notification no. 189E/190E dated 16.02.1994. The retail outlet is proposed to be established on khata no. 124, 165, 172 khesra no. 2903, 2904 2905 village- Khamar, P.s- Mufasil, Dist- Begusarai on Prs. land. There is No tree present on the site. As per the measurement made on the field the total land proposed to be required for entry & exit path of the fuel station is 180 sq. mt. or 0.018 Ha. The measurement was done taking 5.5 mt. exit & entry path and 2.0 mt. flank each as per the direction of the CCF cum Nodal Officer (FC), Bihar, Patna issued vide his letter no. FC 106 dated 19.03.2013.

There is no rare/endangered/unique species of flora & fauna found in the area. Neither any archaeological site is present near the proposed outlet.

The user agency has not done any work on the site in violation of the F(C) Act, 1980. The width of entry & exit each would be 7.5 mt. including the flank. There is Next petrol pump is situated is 05 k.m North & 08 k.m towards South respectively.


(Ravindra Kumar Ravi)
Dy. Conservator of Forests,
Begusarai.

सेवा में,

पत्रांक 87 दिनांक 29/4/22

प्रमाण

प्रमाण

वन प्रभारक पदाधिकारी,
बेगूसराय वन प्रभाग, बेगूसराय

विषय:- श्री मुरारी कुमार झा, बेगूसराय जिला अन्तर्गत मीठ-पारम के 19 भागों का
124, 165, 182 वनसंज्ञित-2903, 2904 एवं 2905 में बेगूसराय-01 भागों के
किन्हीं 11 टुकड़ों का उल्टे टुकड़ों के रूप में पुनः वन के निर्माण हेतु
स्वतः निरीक्षण के लिये

प्रकार:- अवधी झापक 68.6 किमी 19/4/2022

प्रमाण, उपरोक्त विषयक प्रमाणिक पत्र के निर्माण पर प्रभाव के लिये वन में प्रमाणिक
निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आगमन निरुद्ध प्रतिकूल निर्माण है।

1) अनेकित पत्र सुनिश्चित वन के रूप में अधिग्रहित है।
2) प्रभावित रिश्ते का उल्टे टुकड़ों के रूप में वन में प्रमाणिक हेतु अपात्र निर्माण है।



3) वन की सीमा का वास्तविक भाग निर्माण है।
4) प्रभावित वन में वनों की मापदंडी शुरू है।

5) प्रभाव में प्रयुक्त वन की पत्र की सीमा का निर्माण 0.018 हेक्टेयर
मा. 0.018 हेक्टेयर

6) प्रमाण निर्माण को आगमन प्रमाण पत्र की प्रति प्रमाणिक (वनों) शुरू
अभागी निर्माण।

7) वन निर्माण विभाग का निर्माण की सीमा का उपरोक्त हेतु पत्र निर्माण विभाग के
निर्माण की वन प्रमाणिक निर्माण है। (निर्माण)

8) अपात्र निर्माण वन की वन की सीमा का निर्माण का पत्र 69.5 टुकड़ों निर्माण है।

प्रमाण	निर्माण
i) N 25° 28.806'	i) N 25° 28.821'
E 86° 08.700'	E 86° 08.723'
ii) N 25° 28.812'	ii) N 25° 28.815'
E 86° 08.704'	E 86° 08.724'
iii) N 25° 28.817'	iii) N 25° 28.810'
E 86° 08.700'	E 86° 08.715'
iv) N 25° 28.824'	iv) N 25° 28.825'
E 86° 08.690'	E 86° 08.724'

9) प्रभावित रिश्ते का उल्टे टुकड़ों के रूप में वन के निर्माण हेतु अपात्र निर्माण है।
5.00 किमी वन निर्माण की 8.00 किमी की दूरी पर
श्री मा. की सेवा में प्रमाण की प्रति प्रमाणिक (वनों) शुरू
आगमन का निर्माण हेतु प्रमाणिक

आगमन का निर्माण

25/4/22

Divisional Forest Officer
Begusarai Forest Div. Begusarai

बेगूसराय की सीमा
निर्माण है।
निर्माण का प्रमाणिक

आगमन
29/4/22

वन के क्षेत्र पदाधिकारी
बेगूसराय वन प्रभाग, बेगूसराय